न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/482

1. नाथ्या मृतक जरिये कायममुकामान :-
   1/1. रमेश नाथ्या आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   1/2. प्रकाश नाथ्या आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   1/3. रामी बाई बेवा नाथ्या आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन।
2. माधो आत्मज देवा मृतक जरिये कायममुकामान :-
   2/1. भैरूलाल माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   2/2. रामस्वरूप माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   2/3. मरुलीधर माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   2/4. केशर बाई बेवा माधो निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   2/5. मांगी बाई माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा ।
   2/6. मनभर बाई माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

--अपीलान्ट

बनाम

1. मु0 जडाव बेवा तेज्या जाति बोला (रेगर) निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) कायममुकामान प्रतिवादी क्रम 2 व 3
2. औंकार बाई पुत्री तेज्या पत्नी पन्ना रेगर निवासी हाथीखेडा निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. शांति बाई पुत्री तेज्या पत्नी नहनगा जाति बोला निवासी माधोपुर स्टेशन तहसील सवाई माधोपुर ।
4. मु0 भूली बाई पुत्री डालू जाति बोला निवासी बालापुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. उप पंजीयक के0 पाटन जिला बून्दी ।

--रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :- 1. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी दिनांक 29.09.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम राटेदा की कुल 09 किता की रकबा 41 बीघा 13 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.02.2000 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.02.2000 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 29.03.2010 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

4. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.03.2010 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2015 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय में दिये गये दिशा– निर्देशों की पालना नहीं कर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में राजीनामा पेश होने व पूर्व में अपीलान्ट की सहखातेदारी में दर्ज होना स्वीकृत तथ्य होते हुए भी उक्त वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने दौराने वाद किये गये अवैध व अनुचित हस्तान्तरण को आधार मानकर उक्त वाद खारिज किया है जो निरस्तनीय है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कई वर्षों से कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान में ही अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 29.09.2015 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट वादीगण का वाद उनके पक्ष में निर्णित कर डिक्री किया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं राजीनामा का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है वह भूमि सवंत् 2010–13 खाता संख्या 174 खसरा नम्बर 32/4 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा तथा आराजी खसरा नम्बरा 36/1 रकबा 11 बीघा भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी । उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 235 रकबा 30 बीघा 05 बिस्वा कायम किये गये हैं । उक्त भूमि संवत् 2045

43 रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा बेचान की जा चुकी है । इस प्रकार वादीगण अपीलान्ट जिस भूमि के सम्बन्ध में अनुतोष चाह रहे हैं वह भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा बेचान की जा चुकी है ।

9. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2015 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिकी

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

पील संख्या : 15/482

1. नाथ्या मृतक जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रमेश नाथ्या आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   1/2. प्रकाश नाथ्या आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   1/3. रामी बाई बेवा नाथ्या आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन।
2. माधो आत्मज देवा मृतक जरिये कायममुकामान :–
   2/1. भैरूलाल माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   2/2. रामस्वरूप माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   2/3. मरुलीधर माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   2/4. केशर बाई बेवा माधो निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   2/5. मांगी बाई माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा ।
   2/6. मनभर बाई माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

—अपीलाथी

बनाम

1. मु0 जडाव बेवा तेज्या जाति बोला (रेगर) निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) कायममुकामान प्रतिवादी कम 2 व 3
2. औंकार बाई पुत्री तेज्या पत्नी पन्ना रेगर निवासी हाथीखेडा निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. शांति बाई पुत्री तेज्या पत्नी नहनगा जाति बोला निवासी माधोपुर स्टेशन तहसील सवाई माधोपुर ।
4. मु0 भूली बाई पुत्री डालू जाति बोला निवासी बालापुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. उप पंजीयक के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी । बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिकी दिनांक 29.09.2015

वाद संख्याः 89/दावा/2010

1. नाथ्या मृतक जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रमेश नाथ्या आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   1/2. प्रकाश नाथ्या आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   1/3. रामी बाई बेवा नाथ्या आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन।
2. माधो आत्मज देवा मृतक जरिये कायममुकामान :–
   2/1. भैरूलाल माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   2/2. रामस्वरूप माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   2/3. मरुलीधर माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   2/4. केशर बाई बेवा माधो निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन ।
   2/5. मांगी बाई माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा ।
   2/6. मनभर बाई माधो आत्मज देवा जाति बोला निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. मु0 जडाव बेवा तेज्या जाति बोला (रेगर) निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) कायममुकामान प्रतिवादी क्रम 2 व 3
2. औंकार बाई पुत्री तेज्या पत्नी पन्ना रेगर निवासी हाथीखेडा निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. शांति बाई पुत्री तेज्या पत्नी नहनगा जाति बोला निवासी माधोपुर स्टेशन तहसील सवाई माधोपुर ।
4. मु0 भूली बाई पुत्री डालू जाति बोला निवासी बालापुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. उप पंजीयक के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिकी दिनांक 29.09.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

अपील तारीख 14.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बृजनारायण शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 14.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा